Annexure-I

FORM-I

(for linear projects)

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector kondagaon (C.G.)

*****

No.551

Dated.12:10:2022

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in linear projects, it is certified that **0.484 hectare** of forest land of **compartment no. 795** proposed to be diverted in favour of **Public Works Department Kondagaon** (name of user agency) for **Construction of Kondagaon Bypass road** (purpose for diversion of forest land) in **Kondagaon** district falls within jurisdiction of **Khutdobra** village(s) in **Kondagaon** tehsils.

It is furher certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.484 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **B to S .**

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have Been completed and the gram Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.: As above

(DEEPAK SONI)

Collector

District Kondagaon(C.G.)

प्रमाण पत्र
प्रादर्श–"स"

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग कोण्डागांव को कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण हेतु तहसील कोण्डागांव में प्रभावित वन भूमि के कक्ष क्र. PF-795,PF-794,PF-777 एवं RF-793 (कुल रकबा 9.304 हे0) में वन भूमि व्यपवर्तन ग्राम खुटडोबरा कक्ष क्र. 795 प्रभावित कुल रकबा 0.484 हे0 वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि/वन भूमि कक्ष क्र. 795 कुल रकबा 0.484 हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम खुटडोबरा तहसील कोण्डागांव में स्थित है तदानुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

   ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 22.08.2019 (प्रादर्श–"ब") द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण के प्रस्ताव के संबंध में ग्राम पंचायत कोकोड़ी की बैठक दिनांक 22.08.2019 को सरपंच की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था जिसमें 50 प्रतिशत सदस्य उपस्थित थे जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में बताया गया है। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की प्रात्रता रखने वाले व्यक्ति कोई नही है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारको की संख्या ग्रमवार निम्नानुसार है।

कमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	प्रभावित रकबा (हे0मे0)
1	खुटडोबरा	लक्ष्मण/जगनाथ	0.039
2		महादेव/ जडीराम	0.075
3		तेतर/वान्डाराम	0.071
4		सुकचन्द/बुधराम	0.091
5		सोनिया/सनत	0.087
6		जग्गूराम/कानसाय	0.121
कुल		06	0.484

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि सयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा कोकोड़ी के प्रस्ताव दिनांक 22.08.2019 के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि निवासरत नही है,जिनका वन अधिकार अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम –2006 की धारा –3 (1) (e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा **कोकोड़ी दिनांक 22.08.2019** के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम– 2006 की धारा–3(2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

(पुष्पेन्द्र कुमार मीणा)
कलेक्टर
जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

कार्यालय ग्राम पंचायत ...कोकोड़ी... जिला–कोण्डागांव छ0ग0

क्रमांक / 159 / ग्रा0पं0 / 2019

कोण्डागांव, दिनांक 22 / 08 / 2019

/ / प्रादर्श–ब / /

आज दिनांक 22/08/2019 को ग्राम पंचायत ...कोकोड़ी... में ग्राम सभा की आहुत की गई थी, इस बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की ग ई है–

1. ग्राम रवड़डोबरा में आवेदक .... के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु पी0एफ0 कक्ष क्रमांक .... में .... हेक्टे. वन भूमि की मांग की गई है।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिपेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई। जो वन भूमि वनवासी .... व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर परम्परागत इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं सम्पादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार व्यक्तिगत या सामुदायिक किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वन वासी हो इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परम्परागत वन वासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है।

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा हेक्टेयर में
1	2	3	4
1.		(1) लखमन/जगनाथ (2) महादेव/जयसिंह (3) तेबरु/मंगलू (4) सुखचन्द/बुधराम (5) लोकनाथ/[illegible] (6) जगमुरा/[illegible]	0.484

अतः यह एक मत से ग्राम पंचायत ...कोकोड़ी... के ग्राम सभा से निर्णय लिया गया है कि पी0एफ0 कक्ष क्रमांक .... में .... हेक्टे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु आवेदक .... को .... कार्य हेतु अन्य प्रचलित नियमों एव प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित किया जावे।

उपसरपंच
ग्राम पंचायत कोकोड़ी
वि.खं./जिला–कोण्डागांव (छ.ग.)

सरपंच
ग्राम पंचायत कोकोड़ी
वि.खं./जिला–कोण्डागांव

ग्राम पंचायत ....

उपस्थित सदस्यगण

(1) बुधराम

सचिव
ग्रा.पं. कोकोड़ी
वि.खं./जिला–कोण्डागांव (छ.ग.)

5 विकास खण्ड कोण्डागांव तहसील कोण्डागांव जिला कोण्डागांव

सत्य प्रतिलिपि

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
	ग्राम पंचायत कोकोड़ी जनपद पंचायत कोण्डागांव वार्षिक ग्राम सभा बैठक दिनांक 22/08/2019 समय 12 बजे	01 ग्राम पंचायत कोकोड़ी में कोण्डागांव से खुरखेड़ा तक वन अधिकार कृषकों का भूमि पर सड़क निर्माण हेतु बाईपास सड़क निर्माण हेतु अनुमोदन प्रस्ताव।	उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया है कि वार्षिक ग्राम सभा द्वारा कोण्डागांव से खुरखेड़ा तक वन अधिकार के तहत सड़क बाईपास कृषकों का नाम प्रस्तावित की गई।		
			नाम पिता का नाम जाति खसरा नं. रकबा प्रभावित रकबा		
		(1)	लखमण / जगन्नाथ - मुरिया - 795 - 0.065 - 0.039	सर्वसम्मति द्वारा प्रस्ताव पारित कर अनुमोदित किया गया।	
		(2)	महादेव / जड़ीराम - मुरिया - 795 - 1.008 - 0.075		
		(3)	लैलर / चान्डाराम - मुरिया - 795 - 0.106 - 0.071		
		(4)	सुकचन्द / बुधराम - मुरिया - 795 - 0.091 - 0.091		
	सत्यप्रतिलिपि	(5)	सोनिया / सनाउ - मुरिया - 795 - 0.087 - 0.087		
		(6)	जग्गूराम / कानसाय - मुरिया - 795 - 0.465 - 0.121		
			योग रकबा — 1.820 — 0.484		हस्ताक्षर
			ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर अनुमोदन किया गया।		ग्राम सभा कोकोड़ी

क्रमांक 06 दिनांक 22/08/2019 सचिव — [हस्ताक्षर] सचिव, ग्रा.पं. कोकोड़ी, वि.खं./जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

उपसरपंच, ग्राम पंचायत कोकोड़ी, वि.खं./जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

ग्राम पंचायत कोकोड़ी — सरपंच, ग्राम पंचायत कोकोड़ी, वि.खं./जिला-कोण्डागांव

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला कोण्डागांव में प्रस्तावित बाईपास मार्ग के एकरेखण में जो कि कोण्डागांव ग्राम पल्लारी, ग्राम डोंगरीगुड़ा, ग्राम खुबडोंबरा (कोकोड़ी) एवं ग्राम चिखलपुट्टी क्षेत्र के वन भूमि एवं निजी भूमि से होकर गुजरेगा । तत् संबंध में ग्राम पंचायत खुबडोंबरा (कोकोड़ी) तहसील कोण्डागांव जिला कोण्डागांव द्वारा ग्राम सभा बैठक कर सर्व सहमती से बाईपास मार्ग निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाता है।

सचिव
ग्रा.पं. कोकोड़ी
वि.खं./जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

जे.एल. नाग
सरपंच
ग्राम पंचायत कोकोडी
ज.पं. कोण्डागांव (छ.ग.)

आर.डी. यादव

अनुभाग स्तरीय वनाअधिकार समिति अनुभाग–कोण्डागांव
//बैठक की कार्यवाही विवरण//

यूजर एजेंसी कार्यपालन अभियंता लो0नि0वि0(भ/स) संभाग कोण्डागांव द्वारा प्रस्तावित कोण्डागांव बायपास मार्ग निर्माण जो कि कोण्डागांव, ग्राम पलारी, ग्राम डोंगरीगुड़ा, ग्राम खुटडोबरा (ग्राम पंचायत कोकोड़ी) एवं ग्राम चिखलपुट्टी से गुजरने का प्रस्ताव है। अतः उक्त मार्ग के निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रस्तावित है। इस संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मन्यता) अधिनियम 2006 कि धारा 3 के प्रावधान के अंतर्गत गठित एवं प्रदत्त कर्तव्यों/अधिकारों के निर्वहन में नियम 2008 में नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रकिया के अंतर्गत अनुभाग स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 12.04.2022 को आयोजित की गई जिसमें निम्नानुसार सदस्यों/अधिकारियों ने भाग लियाः–

1. श्री गौतमचंद पाटिल अ0वि0अ0(रा0) कोण्डागांव :– अध्यक्ष
2. श्री मु0का0प0अधि0 जं0प0 कोण्डागांव :– सदस्य
3. श्री एम.एस. नाग उप वनमण्डलाधिकारी कोण्डागांव :– सदस्य
4. श्री अनुराग सिंहा मण्डल संयोजक आदिवासी विकास शाखा :– सदस्य
5. श्री शिवलाल मण्डावी अध्यक्ष जनपद पंचायत कोण्डागांव :– सदस्य
6. श्रीमति अनुसुईया नेताम जनपद पंचायत सदस्य कोण्डागांव :– सदस्य

राजस्व विभाग,वन विभाग एवं पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण अनुसार प्रस्तावित कोण्डागांव बायपास मार्ग में ग्राम खुटडोबरा (ग्राम पंचायत कोकोड़ी) के वन भूमि PF 795 में कुल 06 वन अधिकार पट्टाधारियों के कुल 0.484 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित कृषकों द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। ग्राम सभा की बैठक दिनांक 22.08.2019 अनुसार उक्त भूमि को बायपास निर्माण हेतु प्रस्तावित कर अनुशंसा किया गया है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक़र और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत् उक्त प्रभावित कृषकों का भू–अर्जन प्रकरण कियाधीन है। गैर वन उद्देश्य (बायपास निर्माण) हेतु अंतिम निर्णय के लिये ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को अनुशंसा सहित प्रेषित की जाती है। सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया ।

सहपत्र :– ग्राम सभा प्रस्ताव संलग्न।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोण्डागांव	अनुविभागीय अधिकारी वन कोण्डागांव	18.4.22 मु0का0प0 अधिकारी जनपद पंचायत कोण्डागांव
मण्डल संयोजक आदिवासी विकास शाखा कोण्डागांव	अध्यक्ष जनपद पंचायत कोण्डागांव	Anusuya जनपद सदस्य पंचायत कोण्डागांव

जिला स्तर वन अधिकार समिति जिला कोण्डागांव
//बैठक की कार्यवाही विवरण//

यूजर एजेंसी कार्यपालन अभियंता लो0नि0वि0(भ/स) संभाग कोण्डागांव द्वारा प्रस्तावित कोण्डागांव बायपास मार्ग निर्माण जो कि कोण्डागांव, ग्राम पलारी, ग्राम डोंगरीगुड़ा, ग्राम खुटडोबरा (ग्राम पंचायत कोकोड़ी) एवं ग्राम चिखलपुट्टी से गुजरने का प्रस्ताव है। अतः उक्त मार्ग के निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रस्तावित है। इस संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मन्यता) अधिनियम 2006 कि धारा 3 के प्रावधान के अंतर्गत गठित एवं प्रदत्त कर्तव्यों/अधिकारों के निर्वहन में नियम 2008 में नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 12.04.2022 को आयोजित की गई जिसमें निम्नानुसार सदस्यों/अधिकारी उपस्थित रहें :-

1. कलेक्टर जिला कोण्डागांव :- अध्यक्ष
2. वनमण्डलाधिकारी दक्षिण वनमण्डल कोण्डागांव :- सदस्य
3. वनमण्डलाधिकारी उत्तर वनमण्डल केशकाल :- सदस्य
4. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा कोण्डागांव :- सदस्य
5. मा.श्री देवचंद मातलाम अध्यक्ष जिला पंचायत कोण्डागांव :- सदस्य
6. मा.श्रीमति रमिला मरकाम सदस्य जिला पंचायत कोण्डागांव :- सदस्य
7. मा.श्री शिवलाल मण्डावी सदस्य जिला पंचायत कोण्डागांव :- सदस्य

राजस्व विभाग,वन विभाग एवं पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण अनुसार प्रस्तावित कोण्डागांव बायपास मार्ग में ग्राम खुटडोबरा (ग्राम पंचायत कोकोड़ी) के वन भूमि PF 795 में कुल 06 वन अधिकार पट्टाधारियों के कुल 0.484 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित कृषकों द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। ग्राम सभा की बैठक दिनांक 22.08.2019 अनुसार उक्त भूमि को बायपास निर्माण हेतु प्रस्तावित कर अनुशंसा किया गया है। ततसंबंध में दिनांक 12.04.2022 को अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति अनुभाग कोण्डागांव द्वारा अनुशंसा किया गया है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत् उक्त प्रभावित कृषकों का भू-अर्जन प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

अतः बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों की उपस्थिति में गैर वन उद्देश्य प्रयोजन (बायपास निर्माण) हेतु निर्णय लिया जाता है कि प्रभावित वन अधिकार पट्टाधारियों कृषकों को भी निजि भूमि हेतु प्राप्त मुआवजा राशि के समतुल्य ही मुआवजा राशि दिये जाने की अनुशंसा की जाती है। सर्व सहमति से यह निर्णय लिया गया ।

कलेक्टर,
जिला कोण्डागांव

वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण वनमण्डल कोण्डागांव

12/04/22
वनमण्डलाधिकारी
उत्तर वनमण्डल केशकाल

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास शाखा
कोण्डागांव

देवचद मातलाम
अध्यक्ष
जिला पंचायत कोण्डागांव

रमिला मरकाम
सदस्य
जिला पंचायत कोण्डागांव

श्रीमती रमिला मरकाम
सदस्य
जिला पंचायत-कोण्डागांव
क्षेत्र क्रमांक-07

शिवलाल मण्डावी
सदस्य
जिला पंचायत कोण्डागांव

बाईपास मार्ग में वन अधिकार धारक प्रभावित कृषकों की सुची एवं प्रभावित रकबा

(ग्राम खुटडोबरा, पंचायत कोकोड़ी रा0वि0म0–कोण्डागांव, पटवारी हल्का नं. 15, तहसील –कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव छ0ग0 वर्ष 2020–21)

स.क.	वन अधिकार पत्र प्राप्त धारक भूमि		प्रभावित रकबा	वन अधिकार धारक का नाम व पिता का नाम जाति	प्रभावित वृक्ष संख्या
	कम्पार्टमेंट नम्बर	रकबा			
1	PF 795	0.065	0.039	लक्ष्मण पिता जगनाथ जाति मुरिया	तेन्दू 4 नग डुमर 1 नग
2	PF 795	1.008	0.075	महादेव पिता जड़ी जाति मुरिया	बेहड़ाठुठ 1 नग साल ठुट 1 नग साजा ठुठ 1 नग
3	PF 795	0.106	0.071	तेतर पिता वाण्डा जाति मुरिया	पंवड़ाठुठ 1 नग तेन्दू 1 नग
4	PF 795	0.091	0.091	सुकचंद पिता बुधराम जाति मुरिया	–
5	PF 795	0.870	0.087	सोनिया पिता सजत जाति मुरिया	–
6	PF 795	0.463	0.121	जग्गू पिता कानसाय जाति मुरिया	–
	योग :–	**2.6030**	**0.4840**		

Sub. Engineer
PWD. Kondagaon

तहसीलदार
कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव

Ret. Asstt. Engineer

Superintendent
Suraj Vikash Sansthan
Kondagaon

130

प्रारूप–दो

(नियम 18 देखिए)

भाग– क– पूर्व सहमति / घोषणा प्रारूप

स.क.	संबधित व्यक्ति का विवरण		
1.	अधिनियम की धारा 3 (ग) (एक) एव (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम :		
2.	पति / पत्नी का नाम:	तेतर पिता / बन्डाराम जाति मुरिया	
3.	पिता / माता का नाम:	–	
4.	पता:	–	
5.	ग्राम / बस्ती	खुटडोबरा	
6.	ग्राम पंचायत / नगर पालिका / नगरीय:	खुटडोबरा	
7.	तहसील / तालुका:	कोकोड़ी	
8.	जिला:	कोण्डागांव	
9.	परिवार के अन्य सदस्यों के आयु	कोण्डागांव	
10.	स्वामित्व भूमि का विस्तार:	–	
11.	अर्जन के लिए क्षेत्र:	0.106 हे0	
12.	प्लाट नं. :	0.071 हे0	
13.	अधिकारो का अभिलेख :	पी.एफ. 795	
14.	विवादित भूमि, यदि कोई हो तो :	पी.एफ. 795	
15.	प्टटा /लीज / अनुदान , यदि कोई हो:	–	
16.	कोई अन्य अधिकार, अधिघृत सहित, यदि कोई हो :	–	
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में, मै निम्न लिखित कथन करना चाहता हू (कृष्या गोला लगाएं):	–	
	(एक) मैने इस सहमति प्रारूपा की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है / पढ़कर सुन लिया है और ....भाषा में मुझे समझा दिया गया है और	हां	नहीं
	(दो) मै इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हू ।	हां	नहीं
	(तीन) मैं इस अर्जन के लिए सहमत हूं।	हां	नहीं
	सनबती प्रभावित परिवार के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान और तारीख		
18.	पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन , निबंधन एवं शर्ते, प्रतिकार एवं अन्य निबंधन तथा शर्ते प्रारूप से संलग्न होनी चाहिए ।		
	हस्ताक्षरित प्रारूपा लेने वाले पदाभिहित जिला पदधारी के हस्ताक्षर और तारीख		
	यदि वे सहमति देने से इंकार करतें है या यदि वे यह कथन चुनते है कि वे इस प्रारूप पर सहमति नहीं देते है, तो किसी व्यक्ति को धमकाना या उन्हें हानि पहुंचाना विधि के अधीन एक अपराध है । इसमें, कोई धमकी या ऐसा कृत्य , जिससे उन्हें धन की हानि पहुंचे , जो उन्हें शारीरिक रूप से चोटिल करे या कृत्य , जिसके परिणामस्वरूप उनके परिवार को क्षति पहुंचे , सम्मिलित है। यदि इस प्रकार की कोई धमकी दी गई है। तो यह प्रारूप अकृत और शून्य है।		

प्रारूप–दो

(नियम 18 देखिए)

भाग– क– पूर्व सहमति / घोषणा प्रारूप

स.क.	संबंधित व्यक्ति का विवरण		
1.	अधिनियम की धारा 3 (ग) (एक) एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम :	सुखचंद पिता / बुधराम जाति मुरिया	
2.	पति / पत्नी का नाम	–	
3.	पिता / माता का नामः	–	
4.	पताः	खुटडोबरा	
5.	ग्राम / बस्ती	खुटडोबरा	
6.	ग्राम पंचायत / नगर पालिका /नगरीयः	कोकोड़ी	
7.	तहसील / तालुकाः	कोण्डागांव	
8.	जिलाः	कोण्डागांव	
9.	परिवार के अन्य सदस्यों के आयु	–	
10.	स्वामित्व भूमि का विस्तारः	0,091 हे0	
11.	अर्जन के लिए क्षेत्रः	0,091 हे0	
12.	प्लाट नं, :	पी.एफ. 795	
13.	अधिकारो का अभिलेख :	पी.एफ. 795	
14.	विवादित भूमि, यदि कोई हो तो :	–	
15.	प्टा /लीज / अनुदान , यदि कोई होः	–	
16.	कोई अन्य अधिकार, अधिघृत सहित, यदि कोई हो :	–	
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में, मै निम्न लिखित कथन करना चाहता हू (कृप्या गोला लगाएं):		
	(एक) मैने इस सहमति प्रारूपा की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है / पढ़कर सुन लिया है और ....भाषा में मुझे समझा दिया गया है और	हां	नहीं
	(दो) मै इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हू ।	हां	नहीं
	(तीन) मै इस अर्जन के लिए सहमत हूं।	हां	नहीं
	सुखचंद प्रभावित परिवार के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान और तारीख		
18.	पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन , निबंधन एवं शर्ते, प्रतिकार एवं अन्य निबंधन तथा शर्ते प्रारूप से संलग्न होनी चाहिए ।		
	हस्ताक्षरित प्रारूपा लेने वाले पदाभिहित जिला पदधारी के हस्ताक्षर और तारीख		
	यदि वे सहमति देने से इंकार करतें है या यदि वे यह कथन चुनते है कि वे इस प्रारूप पर सहमति नहीं देते है, तो किसी व्यक्ति को धमकाना या उन्हें हानि पहुंचाना विधि के अधीन एक अपराध है । इसमें, कोई धमकी या ऐसा कृत्य , जिससे उन्हें धन की हानि पहुंचे , जो उन्हें शारीरिक रूप से चोटिल करे या कृत्य , जिसके परिणामस्वरूप उनके परिवार को क्षति पहुंचे , सम्मिलित है। यदि इस प्रकार की कोई धमकी दी गई है। तो यह प्रारूप अकृत और शून्य है।		

परिशिष्ट बी–3

उपाबंध–2

[नियम 8 (ज) देखें]   0411295

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

1. वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम (पति या पत्नी सहित) : सुकचंद पत्नी [illegible]बती
2. पिता/माता का नाम : बुधराम
3. आश्रितों का नाम : उमेश, महेश्वरी और दिलीप
4. पता : डूमरपदर
5. ग्राम : खुटडोबरा
6. ग्राम पंचायत : कोकोड़ी
7. तहसील/तालुका : कोण्डागांव
8. जिला : बस्तर
9. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी :
10. क्षेत्रफल : 0.091 हे०
11. खसरा/कम्पार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाचिन्ह द्वारा सीमाओं का विवरण : 795

यह हक दाय योग्य है किंतु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :—

हम, अधोहस्ताक्षरी छत्तीसगढ़ शासन के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं.

(जे. आर. [illegible])

मंडलीय वन अधिकारी

जे.के. [illegible]

[illegible] कोण्डागांव वन मण्डल

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास

आदिवासी विकास

जिला बस्तर

(मनोज [illegible]) कलेक्टर

कलेक्टर

बस्तर

नोट :— यह प्रपत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा.

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव—232—5/2008—6,00,000.

प्रारूप–दो

(नियम 18 देखिए)

भाग– क– पूर्व सहमति / घोषणा प्रारूप

स.क.	संबंधित व्यक्ति का विवरण		
1.	अधिनियम की धारा 3 (ग) (एक) एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम :	जग्गूराम पिता/कानसाय जाति मुरिया	
2.	पति/ पत्नी का नाम:		
3.	पिता / माता का नाम:	–	
4.	पता:	–	
5.	ग्राम/बस्ती	खुटडोबरा	
6.	ग्राम पंचायत / नगर पालिका /नगरीय:	खुटडोबरा	
7.	तहसील/ तालुका:	कोकोड़ी	
8.	जिला:	कोण्डागांव	
9.	परिवार के अन्य सदस्यो के आयु	कोण्डागांव	
10.	स्वामित्व भूमि का विस्तार:	–	
11.	अर्जन के लिए क्षेत्र:	0.465 हे0	
12.	प्लाट नं. :	0.121 हे0	
13.	अधिकारो का अभिलेख :	पी.एफ. 795	
14.	विवादित भूमि, यदि कोई हो तो :	पी.एफ. 795	
15.	प्ट्टा /लीज / अनुदान , यदि कोई हो:	–	
16.	कोई अन्य अधिकार, अधिघृत सहित, यदि कोई हो :	–	
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध मे, मै निम्न लिखित कथन करना चाहता हू (कृप्या गोला लगाए):	–	
	(एक) मैने इस सहमति प्रारूपा की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है / पढ़कर सुन लिया है और ....भाषा में मुझे समझा दिया गया है और	हां	नहीं
	(दो) मै इस अर्जन के लिए सहमत नही हू ।	हां	नहीं
	(तीन) मै इस अर्जन के लिए सहमत हूं।	हां	नहीं
	प्रभावित परिवार के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान और तारीख		
18.	पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन , निबंधन एवं शर्ते, प्रतिकार एवं अन्य निबंधन तथा शर्ते प्रारूप से संलग्न होनी चाहिए ।		
	हस्ताक्षरित प्रारूपा लेने वाले पदाभिहित जिला पदधारी के हस्ताक्षर और तारीख		
	यदि वे सहमति देने से इंकार करतें है या यदि वे यह कथन चुनते है कि वे इस प्रारूप पर सहमति नहीं देते है, तो किसी व्यक्ति को धमकाना या उन्हें हानि पहुंचाना विधि के अधीन एक अपराध है । इसमें, कोई धमकी या ऐसा कृत्य , जिससे उन्हे धन की हानि पहुंचे , जो उन्हें शारीरिक रूप से चोटिल करे या कृत्य , जिसके परिणामस्वरूप उनके परिवार को क्षति पहुंचे , सम्मिलित है। यदि इस प्रकार की कोई धमकी दी गई है। तो यह प्रारूप अकृत और शून्य है।		

परिशिष्ट बी-8

उपाबंध-2

[नियम 8 (ज) देखें] 0411291

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

1. वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम (पति या पत्नी सहित) : जगू पत्नी मुगरी बाई
2. पिता/माता का नाम : कानसाय
3. आश्रितों का नाम : भगत
4. पता : डूमरपदर
5. ग्राम : खुरखेबरा
6. ग्राम पंचायत : कोसकोरी
7. तहसील/तालुका : कोंडागांव
8. जिला : बस्तर
9. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी :
10. क्षेत्रफल : 0.463 हे०
11. खसरा/कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाचिन्ह द्वारा सीमाओं का विवरण : 795

यह हक दाय योग्य है किंतु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :—

हम, अधोहस्ताक्षरी छत्तीसगढ़ शासन के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं.

मंडलीय वन अधिकारी

(मनोहिला कलेक्टर)

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास

नोट :— यह प्रपत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा.

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव—232—5/2008—6,00,000.

प्रारूप–दो

(नियम 18 देखिए)

भाग– क– पूर्व सहमति / घोषणा प्रारूप

स.क.	संबंधित व्यक्ति का विवरण		
1.	अधिनियम की धारा 3 (ग) (एक) एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम :	महादेव पिता / जड़ीराम जाति मुरिया	
2.	पति / पत्नी का नाम:	–	
3.	पिता / माता का नाम:	–	
4.	पता:	खुटडोबरा	
5.	ग्राम / बस्ती	खुटडोबरा	
6.	ग्राम पंचायत / नगर पालिका / नगरीय:	कोकोड़ी	
7.	तहसील / तालुका:	कोण्डागांव	
8.	जिला:	कोण्डागांव	
9.	परिवार के अन्य सदस्यो के आयु	–	
10.	स्वामित्व भूमि का विस्तार:	1,008 हे0	
11.	अर्जन के लिए क्षेत्र:	0,075 हे0	
12.	प्लाट नं. :	पी.एफ. 795	
13.	अधिकारो का अभिलेख :	पी.एफ. 795	
14.	विवादित भूमि, यदि कोई हो तो :	–	
15.	पट्टा / लीज / अनुदान , यदि कोई हो:	–	
16.	कोई अन्य अधिकार, अधिघृत सहित, यदि कोई हो :	–	
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में, मै निम्न लिखित कथन करना चाहता हू (कृप्या गोला लगाएं):		
	(एक) मैने इस सहमति प्रारूपा की अंतर्वस्तु को पढ लिया है / पढ़कर सुन लिया है और ....भाषा में मुझे समझा दिया गया है और	हां	नहीं
		हां	नहीं
	(दो) मै इस अर्जन के लिए सहमत नही हू ।	हां	नहीं
	(तीन) मैं इस अर्जन के लिए सहमत हूं।		
	प्रभावित परिवार के हस्ताक्षर अथवा अगूठे का निशान और तारीख		
18.	पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन , निबंधन एवं शर्ते, प्रतिकार एवं अन्य निबधन तथा शर्ते प्रारूप से संलग्न होनी चाहिए ।		
	हस्ताक्षरित प्रारूपा लेने वाले पदाभिहित जिला पदधारी के हस्ताक्षर और तारीख		
	यदि वे सहमति देने से इंकार करतें हैं या यदि वे यह कथन चुनते है कि वे इस प्रारूप पर सहमति नहीं देते है, तो किसी व्यक्ति को धमकाना या उन्हें हानि पहुंचाना विघि के अधीन एक अपराध है । इसमें, कोई धमकी या ऐसा कृत्य , जिससे उन्हे धन की हानि पहुचे , जो उन्हें शारीरिक रूप से चोटिल करे या कृत्य , जिसके परिणामस्वरूप उनके परिवार को क्षति पहुचे , सम्मिलित है। यदि इस प्रकार की कोई धमकी दी गई है। तो यह प्रारूप अकृत और शून्य है।		

परिशिष्ट बी-3

उपाबंध-2

[नियम 8 (ज) देखें] 0411287

4055

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिएं हक

1. वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम (पति या पत्नी सहित) : महादेव पत्नी डूमली बाई

2. पिता/माता का नाम : जड़ी

3. आश्रितों का नाम : उमलू, कमला, फुकारो, रमलू, कमलेश

4. पता : डूमरपदर

5. ग्राम : खुटगेरा

6. ग्राम पंचायत : कोकोड़ी

7. तहसील/तालुका : लोहण्डीगुड़ा

8. जिला : बस्तर

9. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी :

10. क्षेत्रफल : 1.008 हे०

11. खसरा/कम्पार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाचिन्ह द्वारा सीमाओं का विवरण : 795

यह हक दाय योग्य है किंतु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :—

हम, अधोहस्ताक्षरी छत्तीसगढ़ शासन के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं.

मंडलीय वन अधिकारी

(मनोहर सिंह परस्ते)
जिला कलेक्टर
बस्तर

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास

नोट :— यह प्रपत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा.

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव—232—5/2008—6,00,000.

प्रारूप–दो

(नियम 18 देखिए)

भाग– क– पूर्व सहमति / घोषणा प्रारूप

स.क्र.	संबंधित व्यक्ति का विवरण		
1.	अधिनियम की धारा 3 (ग) (एक) एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम :		
2.	पति / पत्नी का नाम:	सोनिया पिता / सनत जाति मुरिया	
3.	पिता / माता का नाम:	–	
4.	पता:	–	
5.	ग्राम / बस्ती	खुटडोबरा	
6.	ग्राम पंचायत / नगर पालिका / नगरीय:	खुटडोबरा	
7.	तहसील / तालुका:	कोकोड़ी	
8.	जिला:	कोण्डागांव	
9.	परिवार के अन्य सदस्यों के आयु	कोण्डागांव	
10.	स्वामित्व भूमि का विस्तार:	–	
11.	अर्जन के लिए क्षेत्र:	0,087 हे0	
12.	प्लाट नं. :	0,087 हे0	
13.	अधिकारो का अभिलेख :	पी.एफ. 795	
14.	विवादित भूमि, यदि कोई हो तो :	पी.एफ. 795	
15.	पट्टा / लीज / अनुदान , यदि कोई हो:	–	
16.	कोई अन्य अधिकार, अधिघृत सहित, यदि कोई हो :	–	
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध मे, मै निम्न लिखित कथन करना चाहता हू (कृप्या गोला लगाएं):	–	
	(एक) मैने इस सहमति प्रारूपा की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है / पढ़कर सुन लिया है और ....भाषा में मुझे समझा दिया गया है और	हां	नहीं
	(दो) मै इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हू ।	हां	नहीं
	(तीन) मै इस अर्जन के लिए सहमत हूं।	हां	नहीं
	[redacted] प्रभावित परिवार के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान और तारीख		
18.	पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन , निबंधन एवं शर्ते, प्रतिकार एवं अन्य निबंधन तथा शर्ते प्रारूप से संलग्न होनी चाहिए ।		
	हस्ताक्षरित प्रारूपा लेने वाले पदाभिहित जिला पदधारी के हस्ताक्षर और तारीख		
	यदि वे सहमति देने से इंकार करतें है या यदि वे यह कथन चुनते है कि वे इस प्रारूप पर सहमति नहीं देते है, तो किसी व्यक्ति को धमकाना या उन्हें हानि पहुंचाना विधि के अधीन एक अपराध है । इसमें, कोई धमकी या ऐसा कृत्य , जिससे उन्हें धन की हानि पहुंचे , जो उन्हें शारीरिक रूप से चोटिल करे या कृत्य , जिसके परिणामस्वरूप उनके परिवार को क्षति पहुंचे , सम्मिलित है। यदि इस प्रकार की कोई धमकी दी गई है। तो यह प्रारूप अकृत और शून्य है।		

परिशिष्ट बी-3

उपाबंध-2

[नियम 8 (ज) देखें] 0411284

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम (पति या पत्नी सहित) : सोनियाराम पत्नी मनदई

पिता/माता का नाम : सन्त

आश्रितों का नाम : फुलेश्वरी, गुड्डूराम,

पता : ढोड़ापारा

ग्राम : खुरसोक्वा

ग्राम पंचायत : कोकोड़ी

तहसील/तालुका : कोण्डागांव

जिला : बस्तर

अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी :

क्षेत्रफल : 0.087 हे०

खसरा/कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाचिन्ह द्वारा सीमाओं का विवरण : 795

यह दाय योग्य है किंतु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :—

हस्ताक्षरी छत्तीसगढ़ शासन के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं.

वन अधिकारी

(मनोहर सिंह परस्ते)
जिला कलेक्टर
कलेक्टर
बस्तर

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास

यह प्रपत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा.

मुद्रणालय, राजनांदगांव—232—5/2008—6,00,000.

प्रारूप–दो

(नियम 18 देखिए)

भाग– क– पूर्व सहमति / घोषणा प्रारूप

स.क.	संबंधित व्यक्ति का विवरण		
1.	अधिनियम की धारा 3 (ग) (एक) एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम :	लक्ष्मण पिता/जगनाथ जाति मुरिया	
2.	पति/ पत्नी का नाम:	–	
3.	पिता / माता का नाम:	–	
4.	पता:	खुटडोबरा	
5.	ग्राम/बस्ती	खुटडोबरा	
6.	ग्राम पंचायत / नगर पालिका /नगरीय:	कोकोडी	
7.	तहसील/ तालुका	कोण्डागांव	
8.	जिला:	कोण्डागांव	
9.	परिवार के अन्य सदस्यों के आयु	–	
10.	स्वामित्व भूमि का विस्तार:	0.065 हे0	
11.	अर्जन के लिए क्षेत्र:	0.039 हे0	
12.	प्लाट नं. :	पी.एफ. 795	
13.	अधिकारो का अभिलेख :	पी.एफ. 795	
14.	विवादित भूमि, यदि कोई हो तो :	–	
15.	पट्टा /लीज / अनुदान , यदि कोई हो:	–	
16.	कोई अन्य अधिकार, अधिघृत सहित, यदि कोई हो :	–	
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में, मै निम्न लिखित कथन करना चाहता हू (कृप्या गोला लगाएं):		
	(एक) मैने इस सहमति प्रारूपा की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है / पढ़कर सुन लिया है और ....भाषा में मुझे समझा दिया गया है और	हां	नहीं
	(दो) मै इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हू ।	हां	नहीं
	(तीन) मैं इस अर्जन के लिए सहमत हूं।	हां	नहीं
	लक्ष्मन प्रभावित परिवार के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान और तारीख		
18.	पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन , निबंधन एवं शर्ते, प्रतिकार एवं अन्य निबंधन तथा शर्ते प्रारूप से संलग्न होनी चाहिए ।		
	हस्ताक्षरित प्रारूपा लेने वाले पदाभिहित जिला पदधारी के हस्ताक्षर और तारीख		
	यदि वे सहमति देने से इंकार करतें है या यदि वे यह कथन चुनते है कि वे इस प्रारूप पर सहमति नहीं देते है, तो किसी व्यक्ति को धमकाना या उन्हें हानि पहुंचाना विघि के अधीन एक अपराध है । इसमें, कोई धमकी या ऐसा कृत्य , जिससे उन्हें धन की हानि पहुंचे , जो उन्हें शारीरिक रूप से चोटिल करे या कृत्य , जिसके परिणामस्वरूप उनके परिवार को क्षति पहुंचे , सम्मिलित है। यदि इस प्रकार की कोई धमकी दी गई है। तो यह प्रारूप अकृत और शून्य है।		

परिशिष्ट बी-3

उपाबंध-2

[नियम 8 (ज) देखें]   0411286

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम (पति या पत्नी सहित) : लक्ष्मण पत्नी रजोबाई

पिता/माता का नाम : जगनाथ

आश्रितों का नाम : हिरा, हिरमा, नीलो, रैयो

पता : डूमरपदर

ग्राम : कुम्होबरा

ग्राम पंचायत : कोफोड़ी

तहसील/तालुका : कोण्डागांव

जिला : बस्तर

अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी :

क्षेत्रफल : 0.065 हे०

11. खसरा/कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाचिन्ह द्वारा सीमाओं का विवरण : 795

यह हक दाय योग्य है किंतु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्रम्य या अंतरणीय नहीं है :—

हम, अधोहस्ताक्षरी छत्तीसगढ़ शासन के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं.

मंडलीय वन अधिकारी
(...) कटकवार
वन मंडल अधिकारी
(...) कोण्डागांव वन मण्डल

(मनोहर सिंह मरकाम ते,)
जिला कलेक्टर
कलेक्टर
बस्तर

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
जिला बस्तर

नोट :— यह प्रपत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा.

शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव—232—5/2008—6,00,000.